

हंसराज
बनाम
छत्तीसगढ़ राज्य
(दाण्डिक अपील संख्या 1387/2012)
10 फरवरी 2025

[पंकज मिथल^{1*} और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, न्यायाधीशगण]

विचारणीय प्रश्न

अपीलकर्ता को धारा 302 भा.दं.सं के अधीन अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था।
क्या अपीलकर्ता को उचित संदेह से परे अपराध का दोषी ठहराया जा सकता है ?

शीर्ष टिप्पणियाँ †

दंड संहिता, 1860 - धारा 302 - अपीलकर्ता मृतक पीड़ित के साथ रहता था और उसके काम में उसकी मदद करता था - दुर्भाग्यपूर्ण दिन, अपीलकर्ता सुबह चला गया, लेकिन जल्दी वापस आया और कहा कि उसकी साइकिल पंचर हो गई है - उसने पंचर ठीक करवाने के लिए अ.सा.-5 (पीड़ित की पत्नी) से पैसे मांगे - अपीलकर्ता को पैसे देने के लिए अ.सा.-5 धान बेचने के लिए बाजार चला गया, अपीलकर्ता और उसके पीड़ित पति को पीछे छोड़ दिया - जब वह वापस लौटी, तो उसने देखा कि उसका पति खून से लथपथ फर्श पर मृत पड़ा था और उसकी गर्दन कटी हुई थी - प्राथमिकी दर्ज की गई - विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को भा.दं.सं की धारा 302 के अधीन दोषी ठहराया और उच्च न्यायालय ने भी इसे बरकरार रखा - सत्यता:

अभिनिर्धारित किया गया

यह तय है कि दोषी के खिलाफ प्रकरण चलाने की ओर ले जाने वाली घटनाओं की श्रृंखला निश्चित रूप से स्थापित होनी चाहिए और किसी भी दूसरी राय के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए जो दोषी के खिलाफ प्रकरण चलाने की ओर ले जाए अभियुक्त की निर्दोषता - इस प्रकरण में, यह आरोप लगाया गया है कि वेतन का भुगतान न करने/असामयिक भुगतान के संबंध में अपीलकर्ता और मृतक के बीच कुछ मतभेद था - वेतन का भुगतान न करने का प्रश्न शायद ही महत्वपूर्ण है और यह इतना मामूली प्रकरण है कि किसी को भी इस तरह के गंभीर प्रकृति के अपराध को करने के लिए मजबूर किया जा सके - इसके अलावा, दोनों के बीच किसी भी मतभेद को साबित करने के लिए कोई भौतिक सबूत नहीं है - यह अ.सा.-5 सहित सभी गवाहों का

1*Author

सुसंगत प्रकरण है कि अपीलकर्ता सुबह अपने मूल स्थान के लिए निकला था और जैसा कि अ.सा.-5 ने बताया कि वह वापस लौटा क्योंकि उसकी साइकिल का टायर पंचर हो गया था - यह तथ्य कि वह वास्तव में कथित रूप से वापस लौटा था, अ.सा.-5 के बयान को छोड़कर किसी भी स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा स्थापित नहीं होता है - यद्यपि, उसके बयान को किसी भी सबूत के द्वारा पुष्ट नहीं किया जा सका - अपीलकर्ता की साइकिल पुलिस द्वारा बरामद की गई थी, लेकिन यह पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया कि दोनों में से कोई भी था या नहीं टायर वास्तव में पंचर था, जिससे यह साबित हो सकता था कि अपीलकर्ता साइकिल का टायर पंचर होने के कारण वापस लौटा होगा। अपराध का हथियार यानी खून के धब्बों वाली फरसा (प्रदर्श पी/6) अपीलकर्ता के कहने पर घटना के 20-25 दिन बाद बरामद की गई थी। यद्यपि, यह साबित करने के लिए कोई फॉरेंसिक प्रतिवेदन अभिलेख पर नहीं लाई गई कि उस पर खून के धब्बे मृतक के खून से मेल खाते थे। केवल इस कारण से कि डॉक्टर ने कहा कि मृतक पर लगी चोटें किसी समान हथियार से लगी होंगी, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि बरामद की गई फरसा अपराध का हथियार थी। इसके अलावा, शिकायत दर्ज कराने वाले जेआर ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा कि फरसा खुले स्थान पर पड़ी थी, जो अपराध के स्थान का उल्लेख करती है। उक्त कथन इस तथ्य को पूरी तरह से झुठलाता है कि फरसा बाद में एक सी के खेत से बरामद की गई थी। अपराध के हथियार की बरामदगी या बरामद की गई फ़ारसी संदिग्ध है और यह भी निश्चित नहीं है कि यह वास्तव में अपराध का हथियार था - साथ ही, अ.सा.-5 ने अपीलकर्ता को अपराध स्थल पर नहीं पाया और न ही देखा था क्योंकि वह पहले ही भाग चुका था - यद्यपि, अपने प्रतिपरीक्षण में उसने पलटवार किया और कहा कि जब वह वापस आई, तो उसने अपीलकर्ता को फ़ारसी के साथ घर से भागते हुए देखा - इसके अलावा, दो गवाहों (अ.सा.-1 और अ.सा.-3) में से किसी के साक्ष्य से यह निर्णायक रूप से स्थापित नहीं हो सका कि उन्होंने अपीलकर्ता को अपराध स्थल या गाँव से भागते या भागते हुए देखा था - भाग रहे व्यक्ति की पहचान किसी भी साक्ष्य से स्थापित नहीं हुई थी - अपीलकर्ता पर उंगली उठाने वाली परिस्थितियाँ संदेह की छाया से परे यह साबित करने के लिए निर्णायक प्रकृति की नहीं हैं कि अपीलकर्ता अपराध के लिए जिम्मेदार व्यक्ति था - इस प्रकार, प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में, संदेह का लाभ उसके पक्ष में जाता है। [पैरा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17]

उद्धृत न्याय दृष्टान्त

शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य [1985] 1 एससीआर 88: (1984) 4 एससीसी 116 – संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

दंड संहिता, 1860

कीवर्ड की सूची

दंड संहिता, 1860 की धारा 302; परिस्थितिजन्य साक्ष्य; दोष का निष्कर्ष; दोष की परिकल्पना; साक्ष्य की श्रृंखला; अभियुक्त की निर्दोषता; हेतुक; अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत; अपराध के हथियार की बरामदगी; संदेह का लाभ।

प्रकरण की उत्पत्ति

दाण्डिक अपील्य क्षेत्राधिकार: दाण्डिक अपील संख्या 1387/2012 छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के दाण्डिक अपील संख्या 291/2003 में दिनांक 30.07.2010 के निर्णय और आदेश से उत्पन्न

पक्षों की उपस्थिति

अपीलकर्ता के लिए: सुश्री रुखसाना चौधरी, अधिवक्ता।
उत्तरवादी के लिए: विक्रान्त बैस, अतिरिक्त महाधिवक्ता, अभिषेक पांडे, प्रशांत कुमार उमराव, अधिवक्ता गण।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश
निर्णय

पंकज मिथल, न्यायाधीश

1. अपीलकर्ता हंसराज, ग्राम घोठा सकुलपारा भानुप्रतापपुर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ के रामलाल की हत्या के लिए धारा 302 भा.दं.सं के अधीन दोषी है और उसे आजीवन कारावास और 1000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
2. 19.12.2002 को विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए दोषसिद्धि और सजा के आदेश की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा अपील में दिनांक 30.07.2010 के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा की गई है।
3. अपीलकर्ता ने 653 दिनों की देरी से विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत की, जिसे माफ कर दिया गया और अपील की अनुमति प्रदान की गई। चूंकि अपीलकर्ता 10 वर्षों से अधिक समय तक अभिरक्षा में रहा था, इसलिए उसे इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया।

4. अभियोजन पक्ष का प्रकरण केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है।

5. अपीलकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि यह पूरी तरह से झूठा प्रकरण है और अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए परिस्थितियाँ भी निर्णायक रूप से साबित नहीं हुई हैं और अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही में भारी विरोधाभास है।

6. घटना 28.03.2002 की है। आरोप है कि अपीलकर्ता पिछले दो महीनों से मृतक के साथ रह रहा था और उसके काम में मदद कर रहा था। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन अपीलकर्ता सुबह 7:00 बजे एक बैग लेकर साइकिल से अपने पैतृक स्थान के लिए निकला था, लेकिन लगभग 9:00 बजे वापस लौटा और दावा किया कि उसकी साइकिल पंचर हो गई है। इसलिए उसने मृतक की पत्नी बुधियारिन बाई (अ.सा.-5) से पंचर ठीक करवाने के लिए पैसे मांगे। बुधियारिन बाई ने उससे कहा कि उसके घर में तुरंत पैसे नहीं हैं और वह धान ले जाकर बाजार में बेच सकता है, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इसलिए बुधियारिन बाई खुद धान बेचने बाजार चली गई और अपीलकर्ता और उसके पति को घर पर छोड़ दिया। जब वह लगभग 9:30 बजे वापस लौटी, तो उसने अपीलकर्ता को हाथ में फरसी (प्रदर्श पी/6) लेकर भागते हुए देखा और पाया कि उसका पति फर्श पर पड़ा है, उसकी गर्दन कटी हुई है और बहुत खून बह रहा है। इसलिए उसने शोर मचाया और उसकी चीखें सुनकर उसके पड़ोसी जोगेश्वर (अ.सा.-3) और झाडू राम (अ.सा.-4) आए और उन्होंने भी उसके पति को मृत पड़ा देखा। पड़ोसियों ने एक अन्य ग्रामीण जोगी राम (अ.सा.-1) को इसकी सूचना दी, जो मौके पर आया और उसके बाद प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए भानुप्रतापपुर थाना गया। उसने उसी दिन सुबह 11:15 बजे प्राथमिकी दर्ज कराई।

7. यह आरोप लगाया गया है कि मृतक के साथ अपीलकर्ता के संबंध संभवतः उसकी मजदूरी का भुगतान न करने/असामयिक भुगतान के कारण खराब थे। अपीलकर्ता वह व्यक्ति था जिसे मृतक के साथ अंतिम बार देखा गया था और बरामदगी का हथियार यानी फरसा उसकी निशानदेही पर बरामद किया गया था। मृतक को लगी चोटें बरामद हथियार के कारण लगी थीं। इन परिस्थितियों में, अभियोजन पक्ष का दावा है कि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य उचित संदेह से परे साबित करते हैं कि अपीलकर्ता ही वह व्यक्ति है जिसने अपराध किया है और उसे दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा सही रूप से दोषी ठहराया गया है और दंड दिया गया है।

8. निस्संदेह, अभियोजन पक्ष का प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और अपराध के घटित होने का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, क्योंकि मृतक की पत्नी बुधियारिन बाई भी अपराध के घटित होने के समय मौजूद नहीं थी और जब वह बाजार से लौटी तो उसने देखा कि उसका पति खून से लथपथ फर्श पर पड़ा था और उसकी गर्दन कटी हुई थी। उसने संभवतः आरोपी को अपराध स्थल से भागते हुए देखा था।

9. परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरण के संबंध में कानून शरद बिरधीचंद शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य² के प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा स्पष्ट हो जाता है, जिसमें परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरण के पंचशील प्रमाण के रूप में ज्ञात पांच स्वर्णिम सिद्धांत स्थापित किए गए थे, अर्थात्

- (i) जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, जिसमें 'स्थापित किया जा सकता है' और 'स्थापित किया जाना चाहिए' के बीच अंतर किया जाना चाहिए;
- (ii) स्थापित तथ्य अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए;
- (iii) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए;
- (iv) परिस्थिति में साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर अन्य संभावित परिकल्पना को बाहर रखा जाना चाहिए, अर्थात् अभियुक्त का अपराध; और
- (v) साक्ष्य की एक श्रृंखला इतनी पूरी होनी चाहिए कि यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई उचित आधार न बचे कि अभियुक्त निर्दोष है और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

10. दूसरे शब्दों में, दोषी के खिलाफ प्रकरण चलाने के लिए घटनाओं की श्रृंखला को निश्चित रूप से स्थापित किया जाना चाहिए और किसी भी दूसरे मत के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए जो अभियुक्त की निर्दोषता की ओर ले जाए।

11. अपीलकर्ता के पास मृतक की हत्या करने का हेतुक बताया गया है। कथित हेतुक यह है कि वह पिछले दो महीनों से मृतक के नौकर के रूप में रह रहा था और मजदूरी का भुगतान न करने/असामयिक भुगतान करने के संबंध में उसके और मृतक के बीच कुछ विवाद था। यद्यपि, ऐसा विवाद इस हद तक नहीं है कि अपीलकर्ता की ओर से मृतक की हत्या करने के लिए इतनी कठोर कार्रवाई हो। मजदूरी का भुगतान न करने का प्रश्न शायद ही महत्वपूर्ण हो और यह इतना मामूली प्रकरण है कि किसी को भी इस तरह के गंभीर

2 (1984) 4 SCC 116

प्रकृति के अपराध को करने के लिए मजबूर किया जा सके। इसके अलावा, दोनों के बीच किसी भी तरह के विवाद को साबित करने के लिए कोई भौतिक सबूत नहीं है।

12. जहां तक अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत का सवाल है, यह कि मृतक की पत्नी बुधियारिन बाई (अ.सा.-5) जब धान बेचने बाजार गई थी, उस समय अपीलकर्ता मृतक के साथ था, यह भी थोड़ा संदिग्ध प्रतीत होता है। बुधियारिन बाई (अ.सा.-5) सहित सभी गवाहों का यह सुसंगत प्रकरण है कि अपीलकर्ता सुबह लगभग 7:00 बजे अपने पैतृक स्थान के लिए निकला था और जैसा कि बुधियारिन बाई (अ.सा.-5) ने बताया कि वह लगभग 9:00 बजे वापस लौटा, क्योंकि उसकी साइकिल का टायर पंचर हो गया था। यह तथ्य कि वह वास्तव में वापस लौटा, जैसा कि आरोप लगाया गया है, बुधियारिन बाई (अ.सा.-5) के बयान को छोड़कर किसी भी स्वतंत्र साक्ष्य से स्थापित नहीं होता है। यद्यपि उसके बयान की किसी भी साक्ष्य से पुष्टि नहीं हो सकी। यह शायद ही विश्वास करने योग्य है कि एक व्यक्ति जिसका मृतक के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं था और जो नाराज होकर अपने पैतृक स्थान के लिए चला गया है, उसके तुरंत बाद वापस आ जाएगा। अपीलकर्ता की साइकिल पुलिस द्वारा बरामद की गई, लेकिन यह पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया कि क्या वास्तव में टायर पंचर था, जिससे यह साबित हो सकता था कि अपीलकर्ता साइकिल का टायर पंचर होने के कारण वापस आया होगा।

13. अपराध का हथियार यानी फरसा (प्रदर्श पी/6) अपीलकर्ता की निशानदेही पर घटना के 20-25 दिन बाद बरामद किया जाना तय था। साक्ष्य में यह बात सामने आई है कि उस पर कुछ खून के धब्बे थे। यद्यपि, यह साबित करने के लिए कोई फॉरेंसिक प्रतिवेदन अभिलेख पर नहीं लाई गई कि उस पर खून के धब्बे मृतक के खून से मेल खाते थे। केवल इस कारण से कि डॉक्टर ने कहा कि मृतक पर चोटें एक समान हथियार से लगी होंगी, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि बरामद की गई फरसा अपराध का हथियार थी। फरसा जैसे समान और समान उपकरण गांव के लगभग हर घर में पाए जाते हैं क्योंकि यह सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले कृषि उपकरणों में से एक है। इसके अलावा, शिकायत दर्ज कराने वाले जोगी राम ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा कि फरसा खुले स्थान पर पड़ी थी, जो अपराध के स्थान का उल्लेख करता है। उक्त कथन इस तथ्य को पूरी तरह से झुठलाता है कि फरसा बाद में चमारु राम नामक व्यक्ति के खेत से बरामद की गई थी। अपराध के हथियार या बरामद की गई फरसा की बरामदगी संदिग्ध है और यह भी निश्चित नहीं है कि यह वास्तव में अपराध का हथियार था।

14. अपीलकर्ता की संलिप्तता की ओर इशारा करने वाली एक महत्वपूर्ण परिस्थिति यह है कि उसे बुधियारिन बाई (अ.सा.-5) और जोगी राम (अ.सा.-1) दोनों ने गांव से भागते हुए देखा था। बुधियारिन बाई ने

अपने बयान में स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब वह धान बेचकर घर लौटी तो अपीलकर्ता भाग चुका था। इसका मतलब है कि उसने अपीलकर्ता को अपराध स्थल पर नहीं पाया और न ही देखा क्योंकि वह पहले ही भाग चुका था। यद्यपि, अपने प्रतिपरीक्षण में उसने पलटी मारी और कहा कि जब वह वापस आई तो उसने अपीलकर्ता हंस राज को घर से फरसी लेकर भागते हुए देखा। जोगी राम (अ.सा.-1) जो घटना के समय अपने खेत में काम कर रहा था, ने कहा कि उसने जोगेश्वर (अ.सा.-3) के माध्यम से घटना के बारे में जानने से पहले अपीलकर्ता को भागते हुए देखा था, जिसके बाद वह मृतक के घर गया। अपने प्रतिपरीक्षण में, उन्होंने आगे कहा कि मृतक की पत्नी बुधियारिन बाई ने उन्हें बताया कि जब वह धान बेचकर वापस आई तो उसका पति मौके पर पड़ा था और अपीलकर्ता गायब हो गया था। अ.सा.-1 ने कहीं भी यह नहीं बताया कि बुधियारिन बाई ने अपीलकर्ता को मौके से भागते हुए देखा था, बल्कि उसने केवल यह बताया कि जब वह बाजार से लौटी तो अपीलकर्ता पहले ही गायब हो चुका था। बाद में, जिरह में, जोगी राम ने कहा कि खेत में महुवा इकट्ठा करते समय उसने केवल एक व्यक्ति को एक फर्लांग से अधिक दूरी से भागते हुए देखा था। लेकिन उसने कभी उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया जो भाग रहा था। इसलिए, दोनों गवाहों में से किसी के साक्ष्य से यह निर्णायक रूप से स्थापित नहीं हो सका कि उन्होंने अपीलकर्ता को अपराध स्थल से या गांव से भागते या भागते हुए देखा था। भाग रहे व्यक्ति की पहचान किसी भी साक्ष्य से स्थापित नहीं हुई थी।

15. इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना के समय अपीलकर्ता ने जो कपड़े पहने हुए थे, उन्हें प्रीतम सिंह (अ.सा.-9) नामक व्यक्ति ने प्रस्तुत किया था, जिसे पक्षद्रोही घोषित किया गया था। उक्त कपड़ों पर फिर से खून के धब्बे थे, लेकिन यह साबित करने के लिए कोई फॉरेंसिक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं की गई कि उन धब्बों का खून मृतक के खून से मेल खाता है।

16. उपरोक्त तथ्यों में, अपीलकर्ता पर उंगली उठाने वाली परिस्थितियाँ संदेह की छाया से परे यह साबित करने के लिए निर्णायक प्रकृति की नहीं हैं कि अपीलकर्ता अपराध के लिए जिम्मेदार व्यक्ति था। घटनाओं की श्रृंखला के अनुसार अपीलकर्ता की निर्दोषता की संभावना को बाहर नहीं रखा गया है।

17. इस प्रकार, प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलकर्ता को उचित संदेह से परे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और इसलिए ऐसी परिस्थितियों में संदेह का लाभ उसके पक्ष में जाता है। तदनुसार हमारा मत है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने उसे उपरोक्त अपराध के लिए दोषी ठहराने में स्पष्ट रूप से गलती की है।

18. दिनांक 19.12.2002 और 30.07.2012 के आक्षेपित निर्णय और आदेश को निरस्त किया जाता है और अपीलकर्ता को आरोपित अपराध से बरी किया जाता है। वह पहले ही 10 साल से अधिक समय तक कारावास में रह चुका है। वह पहले से ही जमानत पर है। उसके जमानतदार और बंध पत्र को खारिज किया जाता है।

19. तदनुसार अपील स्वीकार की गयी।

प्रकरण का परिणाम - अपील स्वीकार की गयी।

† शीर्ष टिप्पणियाँ अंकित ज्ञान द्वारा तैयार किए गए हैं।